नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड IV दिनांक 16.10.08 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर परिषद रामपुर बुशैहर में निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी तैनात थे।

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री दीपक सूद	1.4.2015 से 17.1.2016
2	श्रीमती मीना कुमारी	18.1.2016 से 31.3.2017
कार्यकारी अधिकारी		
1	श्री बाबू राम नेगी	1.4.2015 से 31.3.2017

(ख) नगर परिषद रामपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	गृहकर की वसूली हेतु राशि का शेष पाया जाना	7	85.93
2	दुकानों के किराए तथा लीज की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	37.47
3	सेवा कर के रूप में अनियमित भुगतान करना	11	28.76
4	तहबाजारी शुल्क की वसूली न करना	12	0.82
5	मोबाईल टावर की स्थापना तथा नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	13	1.13
6	आय के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	14	2.39
7	हि0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन शिमला को अग्रधन के रूप में अधिक भुगतान करना	27	0.62

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–A"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें तदानुसार अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 4.8.2017 से 18.11.17 के दौरान नगर परिषद, रामपुर बुशैहर में किया गया। आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/15, 11/16 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद रामपुर के लेखाओ अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹73600 बनता है। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, ब्लॉक नं0 38 कुसुम्पटी शिमला–9 हि0प्र0 को भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया तथा उनके द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि चैक संख्या 352123 दिनांक 22.1.18 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 को भेज दी गई।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद रामपुर द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल राशि	व्यय	अन्तशेष
2015–16	अपने साधनों से आय	2638475	23441424	3341407	29421306	28225858	1195448
	अनुदानों से प्राप्त आय	37809388	27491691	0	65301079	39052529	26248550
	कुल	40447863	50933115	3341407	94722385	67278387	27443998
2016–17	अपने साधनों से आय	1195448	37711048	3019172	41925668	40785025	1140643
	अनुदानों से प्राप्त आय	26248550	128057960	0	154306510	98000033	56306477
	कुल	**27443998**	**165769008**	**3019172**	**196232178**	**138785058**	**57447120**

नगर परिषद की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष ₹60574252 दर्शाया गया था, जबकि रोकड़ बही में की गई आय व व्यय की प्रविष्टियों के योगों के अनुसार तथा उपरोक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष निम्नविवरणानुसार ₹57447120 बनता है। इस प्रकार रोंकड़ बही तथा उपरोक्त वित्तीय स्थिति में ₹3127132 का अन्तर पाया गया था। उक्त अन्तर की समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 4.7.16 को एक एफ0डी0आर0 ₹5000000 की परिपक्व हुई थी, जिसकी कुल परिपक्वता ₹5101525 थी तथा जिसकी रोकड़ बही में प्राप्ति में प्रविष्टि की गई थी परन्तु भुगतान पक्ष में केवल ₹20 लाख की ही प्रविष्टि की गई थी, जिसके फलस्वरूप व्यय पक्ष में ₹30 लाख की कम प्रविष्टि की गई। इस प्रकार दिनांक 31.3.2017 को शुद्ध अन्तर ₹3127132 (–) ₹3000000 = ₹127132 लाख पाया गया जिसका शुद्धिकरण व समाधान हेतु परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 23.2.2016 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई पालना नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में

रोकड़ बही में अन्य त्रुटियाँ भी पाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट (ख) (ii)** में दिया गया है। अतः रोकड़ बही में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.3.2017 को ₹57447120 अन्तशेष थे जबकि बैंकों में दिनांक 31.3.2017 को ₹58230446 शेष थे, जिसका बैंक समाधान नहीं किया गया। अतः रोकड़ बही का बैंक खातों में अन्तर ₹783326 बारे समाधान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.2017 तक बैंक बचत खातों तथा सावधि योजना में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है जो कि **परिशिष्ट "ख–3"** में भी दर्शाया गया है।

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**दिनांक 31.3.17 तक शेष**
1	भारतीय स्टेट बैंक	11156829314	840537.00
2	भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर (CC Account)	34736375733	67788.00
3	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर	43110105226	2562960.42
4	पंजाब नैशनल बैंक, रामपुर	09430001000–77292	2579847.28
5	कैनरा बैंक, रामपुर	324101000097	3885461.00
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, रामपुर	80514500038	903894.70
7	आई0सी0आई0सी0 बैंक, रामपुर (CC Account)	162605000045	156015.00
		योग	**10996503.40**
	सावधि योजना में जमा राशि का विवरण		
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रामपुर	310676	1498180
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, रामपुर	11035	1391531
3	पी0एन0बी0 बैंक, रामपुर	15679	2223593
4	पी0एन0बी0 बैंक, रामपुर	5958	2032500
5	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर	1131788	1632311
6	हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, रामपुर	43130102789	5074795
7	कैनरा बैंक, रामपुर	TD324413010000038	7000000
8	भारतीय स्टेट बैंक	35917855414	10153317
9	भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर	36068017454	5073924
10	पी0एन0बी0 बैंक रामपुर	7026	5082140
11	एच0डी0एफ0सी0 बैंक रामपुर	50300176447137	5071652
12	इलाहाबाद बैंक	5035474222	1000000
		योग	**47233943**
		कुल योग	**58230446.40**

5 निवेश

(क) नगर परिषद रामपुर द्वारा अवधि 31.3.2015 तक सावधि जमा के अन्तर्गत विभिन्न–विभिन्न बैंकों में ₹47233943 का निवेश किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग"** में संलग्न है। अतः सावधि जमा के अन्तर्गत विभिन्न विभिन्न बैंकों में निवेशित इन राशियों को उनकी परिपक्व दिनांक में पुनः निवेश करके अथवा परिपक्व करके इन राशियों को अपनी निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) सावधि जमा में निवेशित राशियों में अर्जित ब्याज में से ₹0.24 लाख आयकर कटौती बारे

निवेश राशि	निवेश करने की तिथि	परिपक्व की तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	आयकर कटौती	प्राप्त राशि
1301143	31.10.14	31.10.15	8.75%	1410220	12232	1397988
1397988	1.11.15	1.11.16	7.75%	1509522	11342	1498180
				योग	**23574**	

नगर परिषद द्वारा समय–समय पर सावधि जमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न–विभिन्न बैंकों में राशियों का निवेश किया गया। वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 में सावधि में निवेशित राशियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में निवेश की राशियों की परिपक्व तिथि में जो परिपक्व राशि बनती थी, उसमें से आयकर की कटौती करके सम्बन्धित बैंकों द्वारा शेष राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों में बैकों द्वारा एफ0डी0आर0 में निवेशित राशियों पर जितना ब्याज बनता था, उससे कम ब्याज दिया गया, परिणामस्वरूप नगर परिषद को बैकों से ब्याज के रूप में ₹23574 कम प्राप्त हुई। इस सन्दर्भ में ब्याज की कम प्राप्ति की वसूली बैंकों से करने बारे कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12, दिनांक 17.3.2016 द्वारा अवगत करवाया गया, जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह प्रकरण सम्बन्धित बैंकों से उठाया गया है व जैसे ही बैंक आयकर कटौती को नगर परिषद खाते में वापिस जमा कर देगा उससे अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः नगर परिषद द्वारा इस ब्याज की प्राप्ति हेतु अविलम्ब अपेक्षित कार्रवाई करके ब्याज के रूप

में कम प्राप्त ₹23574 की शीघ्र वसूली की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

(क) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"घ–1 से घ–4"** पर संलग्न है।

(ख) पूर्ववर्ती अवधि के दौरान शेष अनुदानों के बारे में

दिनांक 31.3.2015 को अनुदान के रूप में ₹37809388 बकाया थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ–1" तथा "घ–3"** में दिया गया है। उपरोक्त **"घ–3"** के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित अनुदानों में से अधिकतर अनुदान का उपयोग कर लिया गया था, परन्तु शीर्ष आर0जी0यू0एफ0 में प्राप्त अनुदान की ₹73000 का अंकेक्षण अवधि तक भी व्यय नहीं किया गया और न ही इस राशि को सम्बन्धित विभाग को वापिस किया। अतः इस अनुदान को जिस उद्देश्य हेतु प्राप्त किया गया था, उस उद्देश्य पर व्यय न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और इस अनुदान को या तो शीघ्र उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया जाए अन्यथा इसको सम्बन्धित विभाग को वापिस लौटाया जाए।

(ग) निदेशक, शहरी विकास शिमला द्वारा नगर परिषद रामपुर को पत्र संख्या यू0डी0(एच0)(सी)(10) 10/90–311–323 दिनांक 3.4.2014 द्वारा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 तक कई प्रयोजनाओं जैसे कि पानी आपूर्ति, सिवरेज तथा रोड स्ट्रीट नेटवर्कस के लिए ₹1924.78 लाख जारी की गई थी। इस अनुदान की राशि में से ₹1560.00 लाख का अधिशासी अभियन्ता आई0पी0एच0 डिवीजन रामपुर को स्कीम को शुरू करने के लिए भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जिसको भुगतान किया	दिनांक	राशि
अधिशासी अभियन्ता, आई0पी0एच0 डिवीजन रामपुर जिला शिमला हि0प्र0	9.3.15	10000000
–यथोपरि–	13.2.15	30000000
–यथोपरि–	5.3.15	20000000
–यथोपरि–	11.9.15	10000000
–यथोपरि–	28.1.16	10000000
–यथोपरि–	29.2.16	5100000

–यथोपरि–	30.6.16	900000
–यथोपरि–	5.9.16	50000000
–यथोपरि–	31.11.16	20000000
	कुल भुगतान	**156000000**

अनुदान की उक्त ₹1560.00 लाख का जो भुगतान अधिशासी अभियन्ता आई0पी0एच0 डिवीजन रामपुर को स्कीम को शुरू करने के लिए किया गया उसमें से अधिशासी अभियन्ता आई0पी0एच0 डिवीजन रामपुर से केवल ₹620 लाख के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। अतः शेष किये भुगतान के भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाएं।

इन खातों के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उक्त अनुदान की राशि को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों में एक महीने की अवधि से 24 महीने तक की अवधि के लिए समय–समय पर निवेश किया गया। इस प्रकार अनुदान की राशि को सावधि योजना में रखकर उस पर ब्याज प्राप्त किया गया और नगर परिषद द्वारा इस अनुदान की राशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को एक मुश्त न करके निम्न विवरणानुसार किया गया तथा दिनांक 31.3.2017 तक भी अनुदान की राशि का सावधि योजना में रखकर उस पर ब्याज प्राप्त किया गया। नियमानुसार अनुदान से अर्जित ब्याज को उसी कार्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित था जिस उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था।

बैंक का नाम	**एफ0डी0आर0 नं0**	**निवेश करने की तिथि**	**निवेश की राशि**	**परिपक्वता तिथि**	**ब्याज की दर**	**ब्याज की राशि**	**परिपक्व राशि**
पी0एन0बी0	903602860	4.8.14	10000000	31.8.15	9%	975305	10975305
पी0एन0बी0	PU1572	31.8.15	10000000	29.2.16	7.00%	353063	10353063
पी0एन0बी0	94301000371	5.4.15	5000000	29.7.15	7%	110274	5110274
पी0एन0बी0	94301000371	29.7.15	5000000	28.9.15	6.75%	58253	5058253
पी0एन0बी0	94301000371	28.9.15	5000000	28.12.15	6.50%	94282	5094282
पी0एन0बी0	94301000371	28.12.15	5000000	15.3.16	6.50%	81918	5081918
पी0एन0बी0	94301000371	15.3.16	5000000	29.6.16	6.50%	87260	5087260
पी0एन0बी0	94301000371	29.6.16	5000000	28.9.16	6.50%	102397	5102397
पी0एन0बी0	94301000371	28.9.16	5000000	28.12.16	7%	55205	5055205
पी0एन0बी0	94301000371	28.12.16	5000000	23.2.17	7%	47192	5047192
हि0प्र0 को–ओपरेटिव	43130102789 /1131436	18.12.14	6000000	2.2.15	6.75%	51041	6051041

बैंक, रामपुर							
		2.2.15	6051041	20.3.15	6.75%	51475	6102516
		20.3.15	6102516	5.5.15	6.75%	51913	6154429
		5.5.15	6154429	20.6.15	6.75%	52355	6206784
		20.6.15	6206784	20.9.15	6.75%	51652	6259584
कैनरा बैंक	92467074	12.2.14	5000000	12.4.15	7.00%	133500	5133500
	324130100015	20.4.15	5133500	4.6.15	6.50%	42052	5175552
	324130100015	4.6.15	5175552	20.7.15	6.50%	42398	5217950
		योग	**26382336**			**1141099**	**27523435**

अतः रामपुर शहर के लिए पानी की सप्लाई, सीवरेज इत्यादि का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर तदानुसार शेष राशि का भुगतान भी सम्बन्धित विभाग को किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) संलग्न **परिशिष्ट–"घ–3 से घ–4"** के अनुसार नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान की राशियों के उपयोग से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी नहीं किए गए थे। अतः अवधि 2015–16 तथा 2016–17 में व्यय की गई अनुदानों की राशियां के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को शीघ्र जारी किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) नगर परिषद रामपुर को शहर में कार पार्किंग के निर्माण के लिए वर्ष 2013–14 में अनुदान ₹5767143 प्राप्त हुई जिसमें से ₹4000000 का भुगतान कार पार्किंग के निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता, रामपुर डिवीजन हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5.10.2013 को किया गया था, परन्तु लगभग तीन साल बीत जाने पर भी शहर में कार पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कार पार्किंग के निर्माण के लिए जो भुगतान अधिशासी अभियन्ता, रामपुर डिवीजन हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5.10.2013 को किया गया था, वह राशि उनके द्वारा वापिस लौटा दी गई तथा इस अनुदान से ₹1516654 का व्यय परिषद के विभिन्न वार्डों में कर दिया है जो अनियमित था तथा जिसके फलस्वरूप शहरवासियों तथा अन्य शहर में आने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधा से वंन्चित रहना पड़ा और इससे नगर परिषद को जो आय प्राप्त होनी थी, उससे भी नगर परिषद को वन्चित रहना पड़ा।

7 गृहकर की ₹85.93 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद रामपुर के गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को गृहकर के रूप में ₹8592711 वसूली हेतु शेष थी, जबकि हि0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 में दिए प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या इस अध्याय में उपबन्धित रीति से राशि की वसूली की जा सकती थी। इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन नगरपालिका को देय फीस या अन्य राशि देय है, अथवा देय होने के पन्द्रह दिन के पश्चात भी असंदत्त रहती है अथवा यदि कोई राशि संदेय हो गई है तो यथास्थिति कार्यकारी अधिकारी या सचिव या उस द्वारा इस निमित सम्पर्क रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है) ऐसी राशि को संदत्त के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विहित प्रपत्र में लिखित नोटिस की तामील कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति उसे दिए गए मांग नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर देय राशि की संदत्त नहीं करता है या कार्यपालक अधिकारी या सचिव के समक्ष प्रद रूप में कारण नहीं बताता है कि ऐसी राशि जो संदत्त नहीं की गई, कार्यपालक अधिकारी या सचिव सम्बन्धित व्यक्ति की सम्पत्ति की विक्रय द्वारा सभी लागतों सहित ऐसी राशि को वसूल कर सकेगा तथा इस अधिनियम के अधीन उप धारा–(6) नगर पालिका को देय कोई राशि संग्रहण के किसी ढ़ंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी, जबकि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 में कुल मांग ₹12329411 के विरूद्ध केवल मात्र ₹3953817 और वर्ष 2016–17 में कुल मांग ₹13598922 के विरूद्ध केवल मात्र ₹4959510 की वसूली की गई जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**मांग**	**कुल मांग**	**वसूली / प्राप्ति**	**छूट**	**अन्तशेष**
2015–16	7432106	4897305	12329411	3953817	31998	8343596
2016–17	8343596	5255326	13598922	4959510	46701	8592711

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि गृहकर की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई है और न ही नगर परिषद रामपुर द्वारा अपने आय के स्त्रोत को बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए है। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को यह जानकारी दी कि गृहकर की

वसूली के लिए करदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे है। अतः नगर परिषद द्वारा गृहकर की बकाया वसूली हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 के तहत शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाए एवं गृहकर की अधिक से अधिक वसूली की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8 नगर परिषद की दुकानों के किराये एवं लीज की ₹37.47 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख, जोकि **परिशिष्ट–ङ** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक नगर परिषद की दुकानों के किराये तथा लीज की ₹3746510 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**शीर्ष**	**दिनांक 31.3.2017 को बकाया राशि में**
1	दुकानों का किराया	1191998
2	दुकानों की लीज	2554512
	कुल बकाया	**₹3746510**

ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा दुकानों के किराये तथा लीज की वसूली नियमानुसार नहीं की जा रही, जबकि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगरपालिका के देय है तथा उक्त देयता के पन्द्रह दिनों बाद तक भुगतान हेतु शेष रहती है, तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बन्धित व्यक्तियों को मांग हेतु चेतावनी जारी कर सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए देय किसी भी तरह की राशि, संग्रहण के किसी अन्य रूप के पूर्वाग्रह बिना, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। इसके साथ–साथ निदेशक शहरी विकास विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच0(ए0)–1/1987–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 के अन्तर्गत भी गृहकर तथा अन्य करों की शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए गए थे तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था, जबकि नगर परिषद द्वारा बकाया किराये तथा पटटे की वसूली के लिए उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई, जिस बारे अंकेक्षण को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने चर्चा के दौरान बताया कि इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा बकाया किराये तथा पटटे की वसूली के लिए उक्त नियमों के अन्तर्गत बकाया किराये एवं लीज की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है और अधिक से अधिक राशि की वसूली की जाएगी तदानुसार कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

9 नगर परिषद द्वारा लीज पर दी गई दुकानों के किराये को लीज होल्डर्स से हर वर्ष प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप लीज की ₹1.03 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने जिन दुकानों को लीज पर लीज होल्डर्स को दी थी उनसे नियमानुसार वसूली न करके उनकी लीज मनी को पिछले कई वर्षों से उनके खातों में बकाया में दर्शाया जा रहा है जबकि लीज होल्डर के साथ किये गये इकरारनामे में दी शर्तों के अनुसार लीज होल्डर्स से शुरू में ही किराये वसूली किये जाने प्रावधान है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लीज होल्डर्स से लीज मनी की वसूली न करके इन लीज होल्डर्स को अनियमित लाभ दिया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगरपालिका को देय है तथा उक्त देयता के पन्द्रह दिनों बाद तक भुगतान हेतु शेष रहती है, तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बन्धित व्यक्तियों को मांग हेतु चेतावनी जारी कर सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए देय किसी भी तरह की राशि, संग्रहण के किसी अन्य रूप के पूर्वाग्रह बिना, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। इसके साथ–साथ निदेशक, शहरी विकास विभाग (हिमाचल प्रदेश) के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच0(ए0)–1/1987–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 के अन्तर्गत भी गृहकर तथा अन्य करों की शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए गए थे तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाने का प्रावधान है। अतः लीज होल्डर्स से किराये की नियमानुसार वसूली न करके उनकी लीज मनी को पिछले कई वर्षों से उनके खातों में बकाया में दर्शाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इन से किराये की नियमानुसार वसूली शीघ्र करने बारे लीज डीड में दी शर्तों तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में दिये प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये, जिन लीज होल्डर्स से पिछले कई वर्षों से लीज मनी/किराये वसूली नहीं की गई, उनका विवरण निम्नलिखित है।

लीज होल्डर का नाम	दुकान नं0	लीज पर दुकान देने की तिथि	किराया प्रति माह	अवधि	वसूली हेतु किराया
श्री कृष्ण मोहन गौतम सुपुत्र श्री एल0सी0 गौतम गाँव बरो, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू	98	1.5.14	433 प्रति माह	1.5.15 से 30.4.17	103200

इस सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा बकाया किराये तथा पटटे की वसूली के लिए उक्त नियमों के अन्तर्गत बकाया किराये एवं लीज की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नियमानुसार न करने बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया कि इन प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा इस बकाया राशि की वसूली शीघ्र करके कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

10 नगर परिषद द्वारा लीज पर दी गई दुकानों से लीज की ₹1680 की कम मांग करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने अपनी कुछ एक दुकानों को लीज पर आबंटित किया गया था तथा अनुबन्ध में दी शर्तों के अनुसार हर पांच साल के बाद लीज किराया को 10**%** की बढ़ौतरी कर लीज किराया की वसूली की जाने का प्रावधान था। वर्ष 2015–16 तथा 2016–2017 के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण में दर्शाये गये लीज होल्डर्स से उक्त में दी शर्तों पर लीज मनी न बढ़ाकर लीज किराये की वसूली की गई जो अनियमित था, जिसके कारण नगर परिषद को ₹1680 की वित्तीय हानि हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

शॉपिंग कम्पलेक्स का नाम	**लीज होल्डर का नाम**	**लीज पर दुकान देने की तिथि लीज मनी की दर हर पांच साल बाद**	**जितनी लीज मनी अवधि 5.10.16 से 4.1.17 बनी**	**जितनी लीज मनी ली**	**जितनी कम ली**
शॉप–कम–स्टोर, गाँधी पार्क, सोलन	श्री राकेश कुमार, वार्ड नं0 नम्बर–3 गाँधी पार्क, रामपुर	5.10.06 (1275 P.M.) 5.10.11 (1403 P.M) 5.10.16 (1543 P.M)	18516	16836	1680

इस सन्दर्भ में नगर परिषद को लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 4 द्वारा अवगत करवाया गया था। अतः उक्त ₹1680 की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 दुकानों के किरायेदारों से सेवा शुल्क की वसूली न करके नगर परिषद द्वारा अपनी निधि से सेवा कर शुल्क की ₹28.76 लाख का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा अपनी दुकानों को किराये तथा लीज के आधार पर आबंटित किया गया था तथा उन दुकानदारों से केवल किराये की ही वसूली की जा रही थी, जबकि Finance Act, 1994 की धारा 65 (909) तथा धारा 65 (105) के अनुसार "Taxable service

means any service provided or to be provided to any person, by any person, by renting of immovable property or any other service in relation to such renting, for use in the course of or for furtherance of business or commece."। इस प्रकार सभी किरायेदारों से किराये के साथ सेवाकर वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि नगर परिषद द्वारा किरायेदारों सेवा कर की वसूली न करके Additional Commissioner, Central Excise and Service Taxation Deptt. को सेवाकर को अपनी निधि से भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद द्वारा अपनी निधि से 31.3.2017 तक दुकानों के किरायेदारों से सेवाकर की ₹2876020 प्राप्त करनी बकाया थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–ङ** पर संलग्न है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा जो सेवाकर की वसूली किरायेदारों एवं लीज होल्डरों से करनी थी, उसकी वसूली न करके यह राशि परिषद ने अपनी निधि से जमा करवाई, जोकि अनियमित था। उपरोक्त सेवाकर की वसूली किरायेदारों तथा लीज होल्डरों से न करके अपनी निधि से जमा करने के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अंकेक्षण को चर्चा के दौरान अवगत करवाया कि आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादक शुल्क एवं सेवाकर विभाग को सेवाकर शुल्क समय में जमा करना होता है। यदि यह राशि समय पर जमा न हो, तो नगर परिषद को पैनेल्टी व ब्याज सहित राशि का दोगुना भुगतान करना पड़ता। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उक्त भुगतान किए सेवा शुल्क से लगभग ₹971305 की वसूली किरायेदारों से हो चुकी है तथा बकाया राशि की वसूली हेतु उनको नोटिस जारी किए जा रहे है। अतः इस सन्दर्भ में दिये उत्तर को मद्देनजर रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि इस किए भुगतान की समस्त राशि की वसूली हेतु कारगर कार्रवाई अमल में लाई जाए और भविष्य में किरायेदारों से किराये के साथ सेवाकर शुल्क लगाकर बिल जारी करके वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 तहबाजारी शुल्क की ₹0.82 लाख की वसूली न करने बारे

नगर परिषद रामपुर द्वारा वार्ड नम्बर 3 में बस स्टैंड के नजदीक सड़क किनारे बैठने वाले लोगों को अपनी अजीविका चलाने के लिए तहबाजारी के अन्तर्गत ₹300 प्रतिमाह के हिसाब से चारपाई लगाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया था। इससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इन तहबाजारी वालों से वसूली नियमित रूप से नहीं की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप **परिशिष्ट–ङ** में दिए गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक तहबाजारी शुल्क की ₹82410 वसूली योग्य शेष थी।

उक्त बकाया तहबाजारी की वसूली के बारे में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अंकेक्षण को चर्चा के दौरान अवगत करवाया कि तहबाजारी की बकाया वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। अतः तहबाजारी की बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई तथा वसूली से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 मोबाईल टावरों की स्थापना/नवीनीकरण प्रभारों की ₹1.13 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रामपुर शहर में मोबाईल कम्पनियों के 4 मोबाईल टावर स्थापित है उनसे हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0ए0ए0 (7)–1/2006–10396–10444, दिनांक के अनुसार स्थानीय निकायें सीमा के अन्दर लगाए गए टावरों का कम्पनियों से ₹10000 स्थापना शुल्क तथा प्रति टावर ₹5000 की दर से नवीनीकरण शुल्क के रूप में स्थानीय निकायें द्वारा प्राप्त किये जाने का प्रावधान है तथा इसके साथ जिन–जिन कम्पनियों के टावर पाँच साल तक स्थापित रहते है उनसे हर पाँच वर्ष के पश्चात 25**%** नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि करके शुल्क की राशि को वसूली किए जाने का प्रावधान है। अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से समय पर नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2017 तक नगर परिषद द्वारा मोबाईल कम्पनियों से ₹112750 की वसूली करनी शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है तथा जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ङ"** पर भी दिया गया है।

क्र0सं0	**कम्पनी का नाम**	**टावरों की सं0**	**दिनांक 31.3.2017 तक फीस नवीनीकरण की बकाया वसूली**
1	बी0एस0एन0एल0	2 नं0	90000
2	रिलाइन्स कम्पनी	1 नं0	15000
3	टाटा इण्डीकोम	1 नं0	6250
4	वोडाफोन	1 नं0	1500
		कुल बकाया	**112750**

इस प्रकार नगर परिषद रामपुर प्रशासन द्वारा टावरों की नवीनीकरण की वसूली समय पर नहीं की जा रही है। यद्यपि नगर परिषद द्वारा नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹112750 में से ₹77150 की वसूली दिनांक 15.6.17 को बी0एस0एन0एल0 से कर ली गई है परन्तु फिर भी शेष बकाया की वसूली के लिए शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 आय के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹2.39 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना/अभिलेख अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत ₹239469 वसूली हेतु शेष थी।

क्र0सं0	शीर्ष	दिनांक 31.3.2017 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	लवी मेले में दिए स्टालों का किराया	224864	परिशिष्ट–
2	पालतू कुत्ताकर	5350	परिशिष्ट– "त"
3	साईन बोर्ड (विज्ञापन)	9255	परिशिष्ट– "त"
	कुल योग	**239469**	

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1994 में दिए प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है। परिषद क्षेत्र में विज्ञापन हेतु ₹106833 की वसूली की जानी शेष थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बकाया राशि में से ₹97578 प्रस्ताव संख्या 356 (8)दिनांक 26.12.2014 द्वारा इसे बटटे खाते में डाल दिया गया, जिस बारे परिषद सक्षम नहीं थी। अतः इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व इस बारे नियमानुसार शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई की जाए तथा इन बकाया राशियों की वसूली हेतु कारगर पग उठाए जाएं और राशियों की वसूली शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

15 नवनिर्मित भवनों के लिए पानी एवं बिजली के कनैक्शन के लिए जारी अनापति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे

नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 210 में स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति भवन के पूर्णतः या अंशतः निर्माण की पूर्णता के पश्चात एक मास के भीतर कार्यकारी अधिकारी को इस बारे में बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र के साथ ऐसी पूर्णता या पूर्णता के भाग के बारे में लिखित नोटिस द्वारा सूचना प्रदत्त करेगा या भेजेगा या प्रदत्त करवाएगा या भिजवाएगा और ऐसे भवन या उसके किसी भाग के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताऐं कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा। उक्त के साथ–साथ कार्यकारी अधिकारी द्वारा नवनिर्मित भवन को पानी एवं बिजली के कनैक्शन के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवा लेनी चाहिए, जैसे कि भवन के निर्माण के अनुमोदित नक्शे की प्रति, नवीनतम जमा बन्दी, पटवारी की रिपोर्ट

तथा स्थानीय निकायें के तकनीकी स्टॉफ से भवन की पूर्ण रिपोर्ट इत्यादि। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के Ledger में House Plan Approval. Fee A/C के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में तथा वर्ष 2016–17 में प्राप्त की गई राशि के सन्दर्भ में कितने भवनों में नक्शे पारित किए और इससे कितनी आय प्राप्त हुई तथा कितने भवनों को पानी एवं बिजली के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किए तथा कितनी आय प्राप्त हुई, उनसे सम्बन्धित अभिलेख नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए। अतः अंकेक्षण में अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और इससे सम्बन्धित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 वर्ष 2016–2017 में बिजली शुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0एस0जी0–डी0 (1)–9/1994, दिनांक 24.6.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में उपयोग की जानी वाली बिजली की एक पैसा प्रति यूनिट की दर से नगर परिषद को बिजली शुल्क की प्राप्ति होनी चाहिए थी। इस सन्दर्भ में प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत विभाग से वर्ष 2015–16 में ₹99727 तथा वर्ष 2016–17 में बिजली शुल्क की मांग ही नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। **(परिशिष्ट "त")**

वर्ष	**दिनांक 31.3.15 को जो बकाया में थे**	**वर्ष के दौरान जो प्राप्त होने थे**	**कुल**	**वर्ष के दौरान जितनी राशि प्राप्त की**	**बकाया**
2015–16	38228	61499	99727	99727	0
2016–17	0	–	–	–	–

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2016–17 में प्राप्त होने वाली आय के सन्दर्भ में मामला विद्युत विभाग से नहीं उठाया और न ही अपने अभिलेखों का मिलान विद्युत विभाग के अभिलेखों से करके वर्ष 2016–17 में प्राप्त होने वाली आय की वसूली करनी सुनिश्चित की गई। अतः वर्ष 2016–17 में प्राप्त होने वाली आय के सन्दर्भ में मामला विद्युत विभाग से उठाया जाये तथा नगर परिषद क्षेत्र में उपयोग की जानी वाली बिजली की एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क की प्राप्ति की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

17 विज्ञापन को हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से न करवाकर सीधे तौर पर पत्राचार कम्पनियों से करवाने बारे

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी विभाग, बोर्ड निगमों व निकायें इत्यादि यदि किसी भी प्रकार का विज्ञापन पत्राचार में प्रकाशित करवाना चाहती है तो उसके लिये इस कार्य का आबंटन हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग को दिया जाये जबकि नगर परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार मेला लवी के आयोजन के दौरान नीलामी इत्यादि का विज्ञापन हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से न करवाकर सीधे पत्राचार कम्पनियों को दिया गया, जोकि अनियमित था। अतः विज्ञापनों को हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित न करवाकर सीधे तौर पर पत्राचार कम्पनियों से करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में किसी प्रकार के विज्ञापन को पत्राचार में प्रकाशित करने के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वा0सं0	फर्म का नाम	विज्ञापन का ब्यौरा	राशि
851 माह 11/16	दैनिक भास्कर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन शिमला बिल नं0 50128 दिनांक 12.11.16	लवी मेला	5000
	दिव्या हिमाचल प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड बिल संख्या 16022001 दिनांक 12.11.16	लवी मेला	5000
	दिव्या हिमाचल प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड बिल संख्या 16019 475 दिनांक 12.11.16	लवी मेला	3000
	अमर उजाला प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड	लवी मेला के आयोजन का प्रकाशन	2999.07
	WWW.94 Apple News.Com Khalini, Shimla Bill No. 118 Dt. 17.11.16	लवी मेला	3000
798 माह 11/16	जागरण पब्लिकेशन लिमिटेड–2–सर्वोदय नगर, कानपुर–208005 बिल नम्बर डी एम 1609000147 दिनांक 28.9.16	निमन्त्रण पत्र साईज 12 X 12=144 सेंटीमीटर	6000
	यथोपरि बिल नम्बर जी डी/1/डी एम 1609000131 दिनांक 23.9.16	निमन्त्रण पत्र साईज 7.5 X 8=60 सेंटीमीटर	3000

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया यगा कि नगर परिषद द्वारा दैनिक भास्कर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन शिमला बिल संख्या 50128 दिनांक 12.11.16 को बिना किसी दर के ₹5000 का भुगतान किया गया। इस प्रकार बिना दर के एकमुश्त ₹5000 के भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः नगर परिषद अपने स्त्तर पर कम्पनी से दरों की विवरणी मंगवाकर बिल राशि की सत्यता की पुष्टि करें तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को **अवगत करवाया जाये।**

18 कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹2.30 लाख का अधिक भुगतान करना

(क) श्री गुरदास राम वर्मा, सैन्टरी सुपरवाईजर की सेवा पंजिका में 4–9–14 (ACPS) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR)-B(7)-64/2010-loose दिनांक 24.9.2012 व एम0सी0 रामपुर के प्रस्ताव संख्या 206 (2) दिनांक 19.10.2012 द्वारा उक्त कर्मचारी को 10300–34800 जमा 3200 का वेतनमान दिया गया, जबकि वित्त विभाग के उक्त पत्र/नोटिफिकेशन दिनांक 24.9.2012 केवल Schedule (See Role 3) में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में सहायक निदेशक को (10300–34800+4600) वेतनमान 1.10.2012 से देने से सम्बन्धित अधिसूचना जारी हुई थी। इसके साथ–साथ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)–3(7)–64/2010 दिनांक 27.9.12 में सैन्टरी सुपरवाईजर को 10300–34800+3200 का वेतनमान देने से सम्बन्धित कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की थी। अतः सरकार की अधिसूचना के बिना सैनेटरी सुपरवाईजर को 10300–34800 जमा ₹3200 का वेतनमान देना अनियमित है व जिसके फलस्वरूप कर्मचारी को वेतन में अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

कर्मचारी का 1.5.12 को वेतन=₹12810+2800

परिषद द्वारा दिनांक 1.10.2012 को उक्त कर्मचारी का ₹10300–34800+₹3200 के वेतन मान में निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया।

1.10.2012	12810+3200
1.5.2013	13290+3200
1.5.2014	13790+3200
1.5.2015	14300+3200
1.5.2016	14830+3200
1.5.2017	15370+3200

वास्तव में कर्मचारी का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना अपेक्षित थाः–

1.10.2012	12810+2800
1.5.2013	13280+2800
1.5.2014	13770+2800
1.5.2015	14270+2800
1.5.2016	14790+2800
1.5.2017	15320+2800

अंकेक्षण अधियाचना के उत्तर के नगर परिषद ने पत्र संख्या 8667 दिनांक 28.9.17 में लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि कर्मचारी के गलत निर्धारित वेतन को सही कर दिया गया है। अतः श्री गुरदास राम वर्मा, सैन्टरी सुपरवाईजर के गलत वेतन का निर्धारण करने के कारण कर्मचारी को **परिशिष्ट–(थ)** में दिए विवरणानुसार वेतन में अधिक भुगतान ₹52580 की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करके अपेक्षित कार्यवाही से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री ईश्वर दयाल सिंह, दफतरी की सेवा पंजिका में वेतन से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी को (सेवा पंजिका पृष्ठ 20) परिषद के प्रस्ताव 262 दिनांक 7.8.2013 द्वारा चपड़ासी से दफतरी के पद पर ₹4900–10680+1900 ग्रेड वेतन में दिनांक 1.7.2013 से पदोन्नत किया गया व निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया गया।

दिनांक 1.1.2013 को चपड़ासी के पद में वेतनः– ₹11560+1900
दफतरी के पद पर निर्धारित वेतन

1.7.2013	11970+1950
1.7.2014	12390+1950
1.7.2015	12820+1950
1.7.2016	13270+1950
1.7.2017	13730+1950

जबकि वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था

1.7.2013	11970+1900
1.7.2014	12390+1900
1.7.2015	12820+1900
1.7.2016	13270+1900
1.7.2017	13730+19003

वेतन के निर्धारण की पुष्टि से सम्बन्धित सरकार के आदेश जिसके अन्तर्गत ग्रेड पे ₹1950 दिया है, को नगर परिषद को अंकेक्षण अयियाचना संख्या 11 दिनांक 27.9.2017 द्वारा

प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में नगर परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या 8667 दिनांक 28.9.17 में स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि कर्मचारी को जो गलत वेतन निर्धारण किया गया वह अब सही निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार गलत वेतन का निर्धारण करने के कारण कर्मचारी को वेतन में लगभग ₹1950 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"थ"** पर संलग्न है, जिसकी वसूली करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि करवाई जाए।

(ग) श्री मोहन लाल, कनिष्ट टैक्निशियन की सेवा पंजिका में 4–9–14 (ACPS) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया था।

नियुक्ति दिनांक	4.7.2000
दिनांक 27.7.2009 को वेतन	
9 वर्ष के सेवाकाल बाद निर्धारण 27.9.2009	₹8220+1900
1.7.2010	₹8530+2000
1.7.2011	₹9180+2000
1.7.2012	₹9520+2000

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 27.9.2012 द्वारा संशोधन उपरान्त किया गया वेतन निर्धारण

तकनीकी सहायक का वेतनमान	₹5910–20200+2400
1.10.2012	9520+2400
1.7.2013	9880+2400
1.7.2014	10250+2400
14 वर्ष के उपरान्त प्रदान किया गया वेतनमान	
1.7.2014	10650+2800
1.7.2015	11060+2800
1.7.2016	11480+2800
1.7.2017	11910+2800

जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के अधियाचना संख्या Fin (PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 7.7.14, 9.9.14 तथा पत्र संख्या Fin (PR)-B(7)-59/2010-loose दिनांक 3.11.2016 के अन्तर्गत दिये निर्देशानुसार वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

नियुक्ति की तिथि	4.7.2000
पदनाम	कनिष्ट तकनीकी सहायक
दिनांक 27.7.2009 को कर्मचारी का वेतनमान (₹5910–20200+1950) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण	₹8220+1950
9 वर्ष उपरान्त वेतन निर्धारण की दिनांक	4.7.2009
दिनांक 27.8.2009 को ₹5910–20200+1950 के वेतनमान में (Notional) निर्धारण 27.8.2009	8530+2000

1.7.2010	8850+2000
1.7.2011	9180+2000
1.7.2012	9520+2000

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या (PR)-B(7)-64/2010 dated 27.9.12 द्वारा संशोधित वेतनमान (Scale 5910-20200+2400) w.e.f 1.10.12

1.10.2012	₹9520+2400
1.7.2013	₹9880+2400
1.7.2014	₹10250+2400
1.7.2015	₹10630+2400
1.7.2016	₹11020+2400
1.7.2017	₹11430+2400

अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार कर्मचारी के वेतन का गलत निर्धारण किया गया था, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी को वेतन में अधिक भुगतान हुआ प्रतीत होता है, जिसके बारे में नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11, दिनांक 27.9.2017 द्वारा सूचित किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्या 8667 दिनांक 28.9.17 में स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि कर्मचारी के गलत वेतन निर्धारण को अब सही कर दिया गया है लेकिन जो गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹5394 का अधिक भुगतान किया गया उसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए तदानुसार आगामी अंकेक्षण के दौरान वसूली की पुष्टि करवाई जाए।

(घ) गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹416 का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों का सरकार द्वारा जारी ACPS 4–9–14 में वेतन का निर्धारण तय तिथि से न कर उससे पूर्व कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन में अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कर्मचारी का नाम व पता	ACPS देने की तिथि	ACPS जिस तिथि से दी गई	वेतन	जितने दिन का अधिक भुगतान किया	जितना भुगतान किया	जितना बनता था	अधिक भुगतान
श्री लाल चन्द, चालक	13.7.11	1.7.11	7570+2400	12 days	9970+5783= 15753	9290+5358= 14678	1075x12/31= 416

अतः कर्मचारी को अधिक भुगतान ₹416 की वसूली शीघ्र की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना की आगामी लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि आगामी कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ड.) श्री गुडडू राम बिस्ती, श्री केन राम बेलदार, श्री राजू बेलदार कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि ए0सी0पी0एस0 4-9-14 के अन्तर्गत उनका वेतन गलत निर्धारित किया गया प्रतीत होता है। इन कर्मचारियों की सेवा पंजिका में ए0सी0पी0एस0 में वेतन निर्धारण करते समय 14 साल में मिलने वाली वेतनवृद्धि समय से पहले दे दी गई थी जिसके फलस्वरूप इन कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट साथ संलग्न है। कर्मचारियों की सेवा पंजिका में ACPS के अन्तर्गत में वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया था।

नियुक्ति की तिथि	1.9.2007
वेतनमान	₹4900–10680+1300
4 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक	1.9.11
4 वर्ष उपरान्त वेतनमान	₹4900–10680+1400
1.9.11 को वेतन	₹5700+1300
4 वर्ष बाद वेतन निर्धारण	
1.9.11	₹5910+1400
1.9.12	₹6130+1400
वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B(7)-64-201 दिनांक 27.9.2012 द्वारा देय वेतनमान	4900–10680+1650
1.10.2012 को वेतन	₹6130+1650
1.9.13	6370+1650
1.9.14	6610+1650
1.9.15	6810+1650
1.9.16	7120+1650
9 वर्ष का सेवाकाल उपरान्त वेतनमान	₹4900–10680+1900
दिनांक 1.9.16 को वेतन	₹7440+1900
1.7.2017	₹7390+1900

जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग की अधिसूचना Fin (PR)-B(7)-59/2010 दिनांक 7.7.14, 9.9.14 तथा पत्र संख्या Fin (PR)-B(7)-59/2010-loose दिनांक 3.11.2016 के अन्तर्गत दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से होना अपेक्षित था।

नियुक्ति की तिथि	1.9.2007
वेतनमान	₹4900–10680+1300
चार साल का सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि	1.9.11
चार साल का सेवाकल के उपरान्त देय वेतनमान में वेतन का निर्धारण	₹4900–10680+1400
चार साल पश्चात प्रवीणता वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1.9.11	₹5700+1300
4 वर्ष बाद वेतन निर्धारण	
1.9.11	₹5910+1400
1.9.12	₹6130+1400
वित्त विभाग की अधिसूचना Fin (Pr)-B(7)-64/201 दिनांक 27.9. 2012 के अन्तर्गत देय वेतनमान तथा वेतन का निर्धारण	4900–10680+1650
1.10.12	6130+1650
1.9.13	6370+1650
1.9.14	6610+1650
1.9.15	6810+1650
1.9.16	7120+1650
1.9.17	7390+1650

अतः उक्त दिये गये विवरण के अनुसार कर्मचारी के वेतन का निर्धारण गलत किया गया है क्योंकि ACPS के अन्तर्गत 9 साल का सेवाकाल पूर्ण करने का लाभ देकर इन कर्मचारियों को ₹4900–10680+1900 का वेतनमान 1.10.12 को मिल गया था तथा इन कर्मचारियों को अब 14 साल का लाभ दिनांक 1.9.21 को मिलना था। अतः उक्त दिये गये विवरण के अनुसार कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण गलत किया गया है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को वेतन का अधिक भुगतान किया गया, जिस बारे नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 27.9.2017 द्वारा अपनी स्थिति प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या 8667 दिनांक 28.9.17 में अंकेक्षण को अवगत करवाया कि कर्मचारियों का जो गलत वेतन निर्धारण हुआ, उनके वेतन का निर्धारण सही कर दिया है। अतः इन कर्मचारियों का जो गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹47748 का अधिक भुगतान किया गया है उसकी वसूली शीघ्र करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जायेगी।

(च) श्री गुरदयाल, बेलदार कर्मचारी की सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी की सेवा पंजिका में (ACPS 4-9-14) के अन्तर्गत जो वेतन का निर्धारण किया गया था वह गलत किया गया प्रतीत होता है। इस

कर्मचारी की सेवा पंजिका में ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ में वेतन निर्धारित करते समय वेतनवृद्धि गलत दिनांक को लगाकर अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

नियुक्ति की तिथि	4.7.2000
वेतनमान	₹4900–10680+1300
4 साल का सेवाकाल पूर्ण करने की दिनांक	1.9.2004
वेतनमान ₹4900+10680+1400 में दिनांक 1.7.2009 को Notianally वेतन	7230+1400
9 साल का सेवाकाल पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन का निर्धारण	4900–10680+1650
27.8.2009 नोशनल आधार पर	7230+1650
1.7.10	₹7770+1650
1.7.11	₹8060+1650
1.7.12	₹8360+1650
वित्त विभाग की अधिूसचना संख्या Fin (PR)-B(7)-64-201 दिनांक 27.9.2012 में संशोधित वेतनमान 4900–10680+1650 तथा वेतन का निर्धारण	
1.10.12	8360+1650
1.7.13	8660+1650
1.7.14	8970+1650
14 साल का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात ACPS के अर्न्तगत देय वेतनमान 4900–10680+1900 तथा वेतन का निर्धारण	
4.7.14	9300+1900
1.7.15	9640+1900
1.7.16	9990+1900
1.7.17	10350+1900
जबकि वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से होना थाः–	
Date of appointment	4.7.2000
in the pay scale of 4900-10680+1300	
4 साल सेवाकाल पूर्ण करने की दिनांक 1.9.2004 तथा वेतनमान 4900+10680+1400 पर वेतन का निर्धारण	
1.7.2009	6970+1400
9 साल का सेवाकाल पूर्ण करने पर देय वेतनमान 27.8.09 को नोशनल वेतन	7230+1650
1.7.10	7500+1650
1.7.11	7780+1650
1.7.12	8070+1650
वित्त विभाग की अधिूसचना संख्या Fin (PR)-B(7)-64-201 दिनांक 27.9.2012 को वेतनमान 4900–10680+1650 तथा वेतन का निर्धारण	
1.10.12	8070+1650
1.7.13	8370+1650

1.7.14	8670+1650
14 साल का सेवाकाल के पश्चात वेतनमान 4900–10680+1900 तथा वेतन का निर्धारण	
4.7.14	8980+1900
1.7.15	9310+1900
1.7.16	9620+1900
1.7.17	9970+1900

अतः उक्त दिये गये विवरण के अनुसार कर्मचारी के वेतन का निर्धारण गलत किया गया है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी को वेतन में अधिक भुगतान हुआ प्रतीत होता है। नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 27.9.2017 द्वारा अपनी स्थिति प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या 8667 दिनांक 28.9.17 में स्थिति स्पष्ट करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि कर्मचारी को जो गलत वेतन निर्धारण हुआ है, उनके वेतन का निर्धारण सही कर दिया है। अतः उक्त कर्मचारी का जो गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹52064 का अधिक भुगतान किया गया उसकी वसूली शीघ्र करके अपेक्षित अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए ।

19 **निर्माण कार्य का नामः–** C/O B/wall in ward No. 2 near B & C Block at RD 0/14 to 0/28 in M.C. Rampur

संविदाकार का नामः– Sh. Pawan Laktoo

आबंटन पत्रः– 1245 दिनांक 4.7.2015

माप पुस्तिका संख्याः– 11 पृष्ठ 4 से 6

बिल संख्याः– 1st & Final Bill

उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹79341 का भुगतान वाउचर संख्या 661, दिनांक 2.11.2015 द्वारा किया गया था। इस निर्माण कार्य के बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 11, पृष्ठ 4 से 6 पर की गई। बिल की जाँच में निम्न अनियमितताऐं पाई गई

(क) निर्माण कार्य में P/L cement concrete 1:5:10 with 15% plum curing complete i/c the cost of form work for plum/reinforced concrete in R/wall, B/wall the size of plum shall be 150 to 300 mm as per drawings & H.P.P.W.D. Techincal specification की पैमाईश (Measurment) माप पुस्तिका में निम्न प्रकार से की गई।

RD 0/18 to 0/26.90=1x8.90x1.80+0.75/2x4.20+3.50/2=43.86m3

जितनी वास्तविक में गणना बनती है

1x8.90x1.80+0.75/2x4.20+3.50/2=43.68m3

जितनी गणना अधिक ली=0.18m3

मद की दर=₹2900 per m3

अधिक भुगतान=0.18m3x2900=₹522

इस प्रकार संविदाकार को इस मद में (43.86m3-43.68m3=0.18m3) की अधिक मात्रा का (0.18m3 x ₹2900) कुल ₹522 अधिक भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और अधिक भुगतान ₹522 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इस निर्माण कार्य B/wall में 16 No. weep hole लगाये गये थे। अतः P/L CC 1:5:10 (जिसका विवरण उपर दिया है) का भुगतान इस मद से weep hole की नियमानुसार गणना की कटौती करके किया जाना अपेक्षित था, जबकि P/L cement concrete 1:5:10 with 15% plum curing complete i/e the cost of form work for plum/reinforced concrete in R/wall, B/wall की गणना की कटौती के बिना किया गया जिससे संविदाकार को अनियमित/अधिक भुगतान किया गया, जिसकी विवरण निम्न प्रकार से हैः–

इस कार्य में मद "Providing weep hole in bricks/stone/plain reinforce Abutments, wing wall, retaining wall with 100 mm dia PVC pipe extending thorough full width of the structure with slope of 1 (U):20 (H) towards drawings face complete as per drawings & technical Specification clause 614, 709, 1204,3.7=16 Nos Complete i/e the cost of form work for plum/reinforced concrete in R/wall, B/wall the size of plum shall be 150 to 300 mm as per drawings & H.P.P.W.D. Techincal specification" की जानी थी और जितना भुगतान बनना था उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

16 Nos. weephole की गणना बनती है

22/7x0.01x16x1.00=0.50m3

P/L cement concrete 1:5:10 में जितना भुगतान बनता थाः–

1x8.90x1.80+0.75/2x4.2+3.5/2=43.68m3

Less weephole की गणना=0.50 m3

जितनी कुल मद गणना=43.18m3

जितना भुगतान बनता था=43.18x2900=₹125222

जितना भुगतान किया=43.68x2900=₹126672

जितना भुगतान अधिक किया=₹1450

अतः इस निर्माण कार्य में ₹1972 (522+1450) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसकी जाँच अपने स्तर पर करके इस अधिक राशि की वसूली की जाये तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 25.8.16 द्वारा उक्त शीर्ष में अधिक राशि का भुगतान करने बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, परन्तु इस बारे कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अतः निर्माण कार्य में ठेकेदार को किये अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र कर नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 **निर्माण कार्य का नामः– C/O path from Sh.Bhagat Ram"s** House to Balawant House

in Ward No. 1 in phase-1st

संविदाकार का नामः– श्री विनोद कुमार

आबंटन पत्र सं0 व दि0ः– M/C/Works/99-1629 dated 21.9.15

समयः–दो माह

माप पुस्तिका सं0ः– 12, पृष्ठ 23 से 32

बिल संख्याः– 1st and final bill.

उक्त निर्माण कार्य का वाउचर संख्सा 671 दिनांक 5.11.15 द्वारा ₹52955 का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 12 पृष्ठ 23 से 32 पर निर्माण कार्यों से सम्बन्धित की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया कि मद "Providing concrete for drain/reinforced concrete in open foundation complete as per drawing and technical Specification clause 802, 803, 1202, 1203 with PCC grade m 10 nominal dia 1:3:6 (hand mizing) में पृष्ठ संख्या 26, 27 में निम्नलिखित माप गणना को दो बार लेकर इस मद का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माप पुस्तिका पृष्ठ 26 परः–1x1.2x0.74x0.10=0.09
1x1.2x0.80x0.10=0.10
0.19 cm

माप पुस्तिका पृष्ठ 27 परः–1x1.2x0.74x0.10=0.09
1x1.2x0.80x0.10=0.10
0.19 cm

अतः इस प्रकार से इस मद में 0.19 cm की दो बार गणना लेने पर 0.19 cm का अधिक भुगतान (0.19cmx₹3550=₹675) किया गया जिसकी जाँच अपने स्तर पर करते हुए इसकी वसूली की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 **कार्य का नामः–** **Special repair and C/O cremation of ground in W.N. 3 M.C.Rampur Ph.3 (Sh:-priming coat and painting)**

संविदाकार का नामः– श्री जगदीप कुमार, Govt. Contractor

आबंटन पत्र एवं दिनांकः– M/C/Works/99-1510/1 dated 28.8.15

आबंटन समयः– 2 माह

आरम्भ करने की तिथिः– 8.9.15

पूर्ण करने की तिथिः– 21.9.15

उक्त निर्माण कार्य का भुगतान ठेकेदार को उनके प्रथम व अन्तिम बिल के अन्तर्गत वाउचर संख्या 678 दिनांक 7.11.15 के द्वारा ₹43538 का किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 11 पृष्ठ 15 से 17 पर की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि मदों की गणना को अधिक लिया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) Painting and coat (including printing coat) on previously painted steel and other metal surface

जो गणना ली गई=600.10m2

जितनी गणना का योग बनता है=597.56m2

अधिक गणना=2.54m2

अधिक भुगतानः– 2.54x₹45=₹114.30

(ख) Extra over item Nos. 1 every subsequent coat of paint with readymixed paint

2.54x₹38	₹96.52
कुल	₹210.82
Says ₹211	

अतः इस कार्य की गणना का योग अपने स्तर पर करते हुए इस अधिक भुगतान ₹211 की वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 25.8.17 द्वारा उक्त शीर्ष में अधिक राशि का भुगतान करने बारे में स्थिति करने को कहा था, परन्तु इस बारे कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अतः

निर्माण कार्य में ठेकेदार को किये अधिक भुगतान की वसूली शीघ्र कर नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 **निर्माण कार्य का नामः– P/L terrazoo tile flooring from Gandhi park to India Market at ward No. 3 Rampur Bsr.**

एजैन्सी का नामः– श्री गोविंन्द सिंह

आबंटन पत्र संख्याः– 5082 दिनांक 6.9.16

माप पुस्तिका सं0ः– 18 पृष्ठ 28 से 30

बिल संख्याः– प्रथम एवं अन्तिम बिल

उक्त निर्माण कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान श्री गोबिन्द सिंह ठेकेदार को वाउचर संख्या 781 दिनांक 10.11.16 को ₹110247 का किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख एवं माप पुस्तिका संख्या 18 पृष्ठ 28 से 30 पर की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने ठेकेदार को गलत गणना कर ₹2041 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मदः–माप पुस्तिका में प्रविष्टि के अनुसार

P/L C:C 1:6:12 (1 cement:6 Sand: 12 graded stone agg : 40 mm nominal size & caring cemj lite

Slaughter House to indira market

Step Path:- 1x2.50x0.90x0.15=0.51m3

landing:-* 1x1.10x1.40x0.15=0.23m3

In step:- 8x1.40x0.40x0.20=0.67m3

Landing:- 1x1.40x0.80x0.15=0.17m3

St.Path:-1x6.00x3.40x0.15=3.06m3

1x2.00x1.80x0.15=0.54m3

Step:- 11x1.5x0.30x0.15=0.74m3

Total =5.92m3

वास्तविक में जितनी गणना बनती हैः–

Step Path:-1x2.50x0.90x0.15=0.33m3

Landing:-1x1.10x1.40x0.15=0.23m3

In step:-8x1.40x0.40x0.15=0.67m3

Landing:-1x1.40x0.80x0.15=0.17m3

St.Path:-1x6.00x3.40x0.15=3.06m3

1x2.00x1.80x0.15=0.54m3

Step:-11x1.50x0.30x0.15=0.74m3

Total=5.74m3

जितना अन्तर आयाः—5.92m3-5.74m3=0.18m3

जितना अधिक भुगतान किया=0.18m3x`2835 per m3= ₹510

उक्त के अतिरिक्त जो पैमाईश (Measurement) की गई है, उसमें जो गणना 1x2.00x1.80x0.15=0.54m3 की गई दर्शाई है वह किस स्थल पर और किस पर की गई उसे नहीं दर्शाया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मद P/L C:C, 1:6:12 में जो 0.54m3 पैमाईश दर्शाई गई जो संविदाकार को अनुचित लाभ देने के लिये की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹0.54m3x₹2835m3=1531 की वसूली संविदाकार से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये तदानुसार अपेक्षित भी अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 **निर्माण कार्य का नामः—**C/O foot bridge over khneri nallaha near civil Supply deptt. at ward No. 9 Rampur Bsr. Distt. Shimla (H.P.) (SH:-C/O Super structure)

एजैन्सी का नामः—	श्री मुकेश शर्मा
आबंटन पत्र संख्याः—	5088 दिनांक 6.9.16
माप पुस्तिका संख्याः—	18 पृष्ठ 36 से 40
आरम्भ करने की तिथिः—	21.9.16
पूर्ण करने की तिथिः—	5.11.16
बिल संख्याः—	प्रथम एवं अन्तिम बिल

उक्त निर्माण कार्य हेतु श्री मुकेश शर्मा संविदाकार को वाउचर संख्या 787 दिनांक 10.11.16 के द्वारा ₹86630 का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 18 पृष्ठ 36 से 40 में की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को नगर परिषद ने मद संख्या "Supplying & fitting and placing Hysd bar reinforcement in sub-structure/Super-structure as per drawing and specification complete" का भुगतान 5% wastage add करके 668.68 कि0ग्रा0 के हिसाब से ₹93 per कि0ग्रा0 (₹93105) प्रति टन की दर लगाकर ₹62380 किया गया। नियमानुसार संविदाकार को उतनी ही मद की गणना करके भुगतान किया जाना अपेक्षित था जितनी मद वास्तविक

में निष्पादित की गई। अतः 5% wastage को जोड़कर इस मद का भुगतान करना ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा Wastage (31.39 की दर 93105 प्रति टन) ₹2920 की वसूली ठेकेदार से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये और अनुपालना से शीघ्र लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

अधिक भुगतान का विवरण इस प्रकार से हैः–

मदः– Supplying fitting and placing hysd bar reinforcement in sub structure as per drawing and specification complete i/c chavlags of material within all leads and left as per direction of engineer in charge=638.61 कि0ग्रा0

Add 5% wastage=30.00 Kg

Net stock=668.61

Sys=670Kg or 6.70 Qtl.

दरः– ₹93105 प्रति टन

कुल राशिः–₹62380.35 Says ₹62380

जबकि जितना भुगतान करना थाः–

जितना वास्तविक में मद निष्पादित कियाः–638.61 कि0ग्रा0

दरः– ₹93105 प्रति टन

कुल भुगतानः–₹59460

अधिक भुगतान राशिः–₹2920

24 ठेकेदार के बिल से बिक्री कर की ₹600 की कम कटौती करके अनियमित लाभ पहुँचाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री गोविन्द सिंह संविदाकार को निष्पादित कार्य P/LTerrazoo tile flooring from bhandhi Park to Indira market at ward No. 3 Rampur Bsr. Distt. Shimla (HP) (SH:-P/L terrazoo tile florring & CC base in bothe) के अन्तर्गत ₹145142 का भुगतान किया गया, जिस पर 3**%** के दर से बिक्री कर की ₹4354 बनता है जबकि ठेकेदार के बिल से 3**%** बिक्री कर की ₹3754 की कटौती की गई। इस प्रकार इस बिल से ₹600 की कम वसूली की गई, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त ठेकेदार से ₹600 की वसूली कर शीघ्र राजकीय कोष में बिक्री कर के शीर्ष के अन्तर्गत जमा करें ताकि जो राजकीय कोष को हुई हानि की भरपाई सुनिश्चित हो सके तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। उक्त बारे अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 5 दिनांक 13.9.2017 द्वारा अवगत करवाया था, जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया कि ठेकेदार को गलत गणना के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी।

25 वाहनों के लियें खरीद किये गये टायरों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करना और न ही पुराने टायरों की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत करना

नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने वाहन संख्या एच0पी0–06ए–0720 तथा वाहन संख्या एच0पी0–06–2111 के लिये हिमाचल प्रदेश एग्रोइन्डस्ट्रीज निगम शिमला कुल 8 टायर ₹9051 प्रति टायर कुल ₹72408 में क्रय किये। इन बिलों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि इन टायरों की स्टॉक प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई और इसके स्थान पर जो पुराने टायर निकले थे उनको नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में वापिस नहीं दर्शाया गया व पुराने कलपुर्जा के स्टॉक रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई। अतः बिना स्टॉक प्रविष्टि के टायरों को वाहन में डलवाने सम्बन्धित अपनी स्थिति स्पष्ट की जाये और इन नये टायरों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में टायरों में दिये नम्बरों तथा किस कम्पनी के टायर है, का पूर्ण ब्यौरा देकर प्रविष्टि करें तथा इसके साथ–2 पुराने टायरों को प्राप्त कर इसकी प्रविष्टि पुराने कलपुर्जा के स्टॉक रजिस्टर में की जाये अन्यथा बाजार दर के अनुसार पुराने टायरों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 13.9.17 द्वारा इन बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, परन्तु इस बारे अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

26 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की ₹2460 का अधिक भुगतान करना

(क) नगर परिषद ने माह 11/2016 में कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान किया जिसकी जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बिना जाँच किये बिलों का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	वा0सं0 / माह	टैस्ट एवं दवाईयों का ब्यौरा	दर जिस पर भुगतान किया	जिस दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था	अधिक भुगतान	मेडिकल बिल में जिसका ब्संपउ किया	अस्पताल का नाम
(क)1	श्री सोहन लाल कनिष्ठ सहायक (M/S lok Maya Hospital MedicalStore, CM No. 296 of 11.5.16)	833 माह 11 / 16	CT Scan	880	300	580	Self	(M/S Lok Maya Hospital Medical Store, NvN 0296) of 11.5.16
2	-do-	-do-	CHG	500	50	450	Self	M/S Sigma Scanning & centre No. 051 date 27.6.16
3	-do-	-do-	LFT	500	50	450	Son Ayush	M/S Sigma scanning & center No. 050 date 27.6.16
4	-do-	-do-	X-ray	250	50	200	Self	Negi orthopaedi centre cm No. 1519 dt. 18.6.16
(ख) 1	श्री खैर सिंह सफाई कर्मचारी	-do-	CT Brain	880	300	580	Self	M/S Lok Maya Hospital, Rampur cm No. 01164 dt. 29.916
(ग)	श्री मोहन लाल मिस्त्री	-do-	X-ray Chest	300	100	200	Wife	Noval Imaging centre, IGMC, Khaneri, Rampur

(ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की ₹7530 का अनियमित भुगतान करना

उक्त के अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अधूरे चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान किया गया जोकि अनियमित था। अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान बिना औपचारिकताओं/अधूरे होने पर करने बारे स्थिति स्थिति स्पष्ट की जाये। जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में अंकेक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/माह	प्रार्थी का नाम	चिकित्सा दावा की राशि	जिसका दावा प्रस्तुत किया	कार्यों का विवरण
1	833 माह 11/2016	श्री घन श्याम, कनिष्ठ अभियन्ता	6498	स्वयं	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें में चिकित्सक की prescription slip साथ संलग्न नहीं है।
2	–यथोपरि–	श्री खेर सिंह, सफाई कर्मचारी	4824	स्वयं	CM No. 16.9.15 059 दिनांक 28.9.16 में मरीज का नाम केहलट सिंह दिया जिसकी ₹228.34 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के साथ संलग्न CM संख्या 16–09–15513 दिनांक 29. 09.16 ₹276.25 में मरीज का नाम श्री केवल राम लिखा गया है, दावे के साथ संलग्न पैरा मेमो संख्या–16.9.15516 दिनांक ₹49.50 में मरीज के नाम के सामने कैश दर्शाया गया है। दावे के साथ संलग्न कैश मैमो संख्या–16–10–02127 दिनांक 5.10.2016 ₹117.13 में मरीज का नाम श्री तेज सिंह दर्शाया गया है दावे के साथ संलग्न कैश मैमो संख्या 3086 दिनांक 07.10.2016 ₹360.33 मरीज का नाम श्री केसर सिंह दर्शाया गया है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनांक 13.9.17 द्वारा उक्त शीर्ष में अनियमित/अधिक राशि का भुगतान करने बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा लेखा परीक्षा को अवगत करवाया कि कर्मचारियों को जो अधिक

भुगतान किया गया, उस राशि की वसूली वेतन से शीघ्र कर ली जायेगी और आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जायेगी।

27 नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में सीमेन्ट की खरीद के लिए हि0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन शिमला को अग्रधन के रूप में ₹0.62 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में हिमाचल प्रदेश राजकीय खाद्य आपूर्ति निगम शिमला को सीमेन्ट की आपूर्ति के लिए समय–समय पर अग्रधन के रूप में भुगतान किया गया तथा इसके एवज में निगम द्वारा नगर परिषद को सीमेन्ट की आपूर्ति भी की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ध"** पर संलग्न है, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक सीमेन्ट की आपूर्ति के लिए दिए गए अग्रधन तथा इसके एवज में प्राप्त सीमेंट के अनुसार ₹62142 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 20.11.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिस सन्दर्भ में परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में निगम से मिलान किया जाना है। अतः नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में खातों का निगम से शीघ्र मिलान किया जाए तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि

(क) नगर परिषद रामपुर की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 में पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट–"ङ"** में संलग्न है, जिसके अनुसार इस निधि में दिनांक 31.3.2017 को ₹1426395 में बकाया है।

(ख) निवेश

उक्त निधि में से अवधि 31.3.2017 को सावधि जमा योजना में निवेश राशियों का विवरण **परिशिष्ट"ङ"** में संलग्न है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 31.3.2017 तक सावधि में निवेश राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद रामपुर द्वारा इलाहाबाद बैंक में एफ0डी0आर0 संख्या 50367948412 में ₹700000 का निवेश सावधि जमा में किया गया था, जिसकी परिपक्वता दिनांक 28.12.17 को ₹750301 थी। अतः राशि को परिपक्वता दिनांक को ब्याज सहित सम्बन्धित खाते में हस्तांतरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

30 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या :—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)5(51) / 86—खण्ड—5-3510-3511 दिनांक, 17.04.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उतर इस कार्यालय को अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

2 निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002.

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट "A"

पैरा 1 (ग) से सन्दर्भित

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1967 से 3/1968

1	पैरा 2 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (बी)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1968 से 3/1969

1	पैरा 3 (डी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1970 से 3/1975

1	पैरा 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (ए) (4)	अनिर्णीत
5	पैरा 6 (ए) (11)	अनिर्णीत
6	पैरा 6 (ए) (12)	अनिर्णीत
7	पैरा 8 (1) मद–1	अनिर्णीत
8	पैरा 8 (2) मद–2	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (1) ए से च	अनिर्णीत
10	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
13	पैरा 11 (4)	अनिर्णीत
14	पैरा 11 (5)	अनिर्णीत
15	पैरा 11 (6)	अनिर्णीत
16	पैरा 11 (7)	अनिर्णीत
17	पैरा 11 (8)	अनिर्णीत
18	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा 12 (4)	अनिर्णीत

20	पैरा 12 (5)	अनिर्णीत
21	पैरा 12 (6)	अनिर्णीत
22	पैरा 12 (7)	अनिर्णीत
23	पैरा 12 (8)	अनिर्णीत
24	पैरा 12 (9)	अनिर्णीत
25	पैरा 12 (11)	अनिर्णीत
26	पैरा 12 (12)	अनिर्णीत
27	पैरा 12 (13)	अनिर्णीत
28	पैरा 12 (14)	अनिर्णीत
29	पैरा 12 (15)	अनिर्णीत
30	पैरा 12 (16)	अनिर्णीत
31	पैरा 12 (17)	अनिर्णीत
32	पैरा 12 (18)	अनिर्णीत
33	पैरा 12 (19)	अनिर्णीत
34	पैरा 12 (20)	अनिर्णीत
35	पैरा 12 (21)	अनिर्णीत
36	पैरा 12 (22)	अनिर्णीत
37	पैरा 12 (23) (बी) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा 12 (23) (बी) (5)	अनिर्णीत
39	पैरा 12 (23) (बी) (6)	अनिर्णीत
40	पैरा 12 (23) (बी)	अनिर्णीत
41	पैरा 13 (ए)	अनिर्णीत
42	पैरा 14 (16)	अनिर्णीत
43	पैरा 14 (27)	अनिर्णीत
44	पैरा 14 (30)	अनिर्णीत
45	पैरा 14 (44)	अनिर्णीत
46	पैरा 14 (45)	अनिर्णीत
47	पैरा 14 (50)	अनिर्णीत
48	पैरा 14 (51)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1980

1	पैरा 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 27	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1987

1	पैरा 8 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 15 (6)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1989

1	पैरा 16	अनिर्णीत
2	पैरा 21	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1991

1	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा 11 (3) (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (6) (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 11 (7) (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 11 (7) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 16 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 18	अनिर्णीत
8	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 19 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 19 (घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 19 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा 19 (2) (क)	अनिर्णीत
14	पैरा 19 (2) (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 19 (2) (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा 21 (9) (क)	अनिर्णीत
17	पैरा 21 (9) (ख)	अनिर्णीत

18	पैरा 22 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा 23 (5)	अनिर्णीत
20	पैरा 23 (7)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1994

1	पैरा 8 (11)	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा 10 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (7) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा 10 (7)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (5) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा 13 (5) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा 13 (6) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा 13 (6) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा 13 (6) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा 14 (2)	अनिर्णीत
17	पैरा 15 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा 15 (3)	अनिर्णीत

(9) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला दिनांक 27.1.1993 की निरीक्षण टिप्पणी

1	पैरा 2 (ज)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (3)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/2004

1	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 11 (1)	अनिर्णीत

3	पैरा 11 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 11 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा 11 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा 11 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा 11 (7)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (8)	अनिर्णीत
10	पैरा 11 (9)	अनिर्णीत
11	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा 15 (6)	अनिर्णीत
13	पैरा 15 (11)	अनिर्णीत
14	पैरा 15 (13)	अनिर्णीत
15	पैरा 15 (14)	अनिर्णीत
16	पैरा 15 (15)	अनिर्णीत
17	पैरा 15 (16)	अनिर्णीत
18	पैरा 15 (30)	अनिर्णीत
19	पैरा 16 (1)	अनिर्णीत
20	पैरा 16 (2)	अनिर्णीत
21	पैरा 16 (3)	अनिर्णीत
22	पैरा 16 (5)	अनिर्णीत
23	पैरा 16 (7)	अनिर्णीत
24	पैरा 16 (12)	अनिर्णीत
25	पैरा 16 (13)	अनिर्णीत
26	पैरा 16 (14)	अनिर्णीत
27	पैरा 16 (15)	अनिर्णीत
28	पैरा 16 (17)	अनिर्णीत
29	पैरा 16 (18)	अनिर्णीत
30	पैरा 16 (25)	अनिर्णीत
31	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत

32	पैरा 18 (4)	अनिर्णीत
33	पैरा 18 (7)	अनिर्णीत
34	पैरा 18 (11)	अनिर्णीत
35	पैरा 19 (1)	अनिर्णीत
36	पैरा 19 (2)	अनिर्णीत
37	पैरा 19 (3)	अनिर्णीत
38	पैरा 19 (4)	अनिर्णीत
39	पैरा 19 (5)	अनिर्णीत
40	पैरा 19 (6)	अनिर्णीत
41	पैरा 19 (7)	अनिर्णीत
42	पैरा 19 (12)	अनिर्णीत
43	पैरा 19 (17)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा 6 (ix)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (xi)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 14	अनिर्णीत
4	पैरा 27	अनिर्णीत
5	पैरा 31	अनिर्णीत
6	पैरा 35	अनिर्णीत
7	पैरा 36	अनिर्णीत
8	पैरा 38	अनिर्णीत
9	पैरा 39 (2)	निर्णीत (दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर तथा प्रस्तुत अभिलेखों की पुष्टि के अनुसार पैरा निर्णीत)

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत

3	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत	
4	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7 (4)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7 (7)	अनिर्णीत	
7	पैरा 8 (3)	आंशिक निर्णीत	(लाईसैन्स शुल्क की ₹49692 में से ₹49056 की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
8	पैरा 9 (5)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10 (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा 10 (3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10 (4)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10 (9)	अनिर्णीत	
14	पैरा 11 (3)	अनिर्णीत	
15	पैरा 12	अनिर्णीत	
16	पैरा 14	अनिर्णीत	

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹61000 चैक संख्या 723460 दिनांक 20.5.2016 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेजने की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में दी गई है)
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (ख) में दी गई है)
4	पैरा 5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पर दी गई है और जो राशियां परिपक्व हो गई, उसकी पुष्टि भी रोकड़ बही के बैंक कॉलम में कर ली गई)
5	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	

6	पैरा 6 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
7	पैरा 6 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
8	पैरा 6 (ग)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
9	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6 (ङ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
11	पैरा 7 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
12	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
14	पैरा 9	आंशिक निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
15	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
16	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
17	पैरा 12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
18	पैरा 13	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)

19	पैरा 14 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
20	पैरा 14 (ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
21	पैरा 14 (ग)	अनिर्णीत	
22	पैरा 15	अनिर्णीत	
23	पैरा 16	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
24	पैरा 17	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
25	पैरा 18	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
26	पैरा 19	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
27	पैरा 20	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
28	पैरा 21 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1—548 / 2011—फिन(एल0ए0)—खण्उ—1—6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
29	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा 22	अनिर्णीत	

31	पैरा 23	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
32	पैरा 24	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
33	पैरा 25 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
34	पैरा 25 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा 26	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
36	पैरा 27	अनिर्णीत	
37	पैरा 28	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
38	पैरा 29	अनिर्णीत	
39	पैरा 30	अनिर्णीत	
40	पैरा 31	अनिर्णीत	
41	पैरा 32	अनिर्णीत	
42	पैरा 33	अनिर्णीत	
43	पैरा 34	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)
44	पैरा 35	अनिर्णीत	
45	पैरा 36	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन(एल0ए0)–खण्उ–1–6624, दिनांक 16.11.2017 के अनुसार)

46	पैरा 37 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
47	पैरा 37 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
48	पैरा 37 (ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.3.2015 तक अनिर्णीत पैरे	202
वर्तमान अंकेक्षण में सम्मिलित पैरे	18
कुल योग	221
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	31
31.3.2017 को अथशेष	189